

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

ईमेल- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/140/2016/एफ0 सी0/1584

दिनांक 11/10/2019

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद — अल्मोड़ा में खूंट काकडीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/15503/2015)

सन्दर्भ:—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 719/FP/UK/ROAD/15503/2015 दिनांक 11-09-2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के ई.डी.एस. दिनांक 23.07.2018 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:

- 1- In reply to para 01, no comments made by the State Government as the proposal has already been closed on 25/09/2017.
- 2- In reply to point No. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate Part –IV, Part-V, Sol toposheet and digital map of CA area still not submitted in original. Land schedule and Muck Disposal Plan are not countersigned by DFO.
- 3- In reply to point No. 02, justification submitted by State Government is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity. State Government may submit the clarification in this regard.
- 4- प्रस्तावित मार्ग की KML file गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित हाने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)